

इलाहाबाद विकास प्राधिकरण, इलाहाबाद

विकास प्राधिकरण की अम्भुति एवं पूर्णता प्रमाण-पत्र :

श्रीमती कैरारा डाहमद पली रु.० मोहन उद्दीप अहमद संग व
गुजारेआम श्रीमती शालगा रेडी पनी श्री एराओके० रेडी। श्रीमती हुमौश अकबर
अहमद पत्नी श्री समीर अकबर, श्री राजनान अहमद पुत्र रवि गैयाज उद्दीन
अहमद, श्रीमती रुखराना अहमद गुजी रु.० कैयाज उद्दीन अहमद, परिवर्तित
नाम श्रीमती नहनाज करमाली पत्नी श्री अमीर करमाली, द्वारा नजूल फी है तड
भूखण्ड रांधा ०५ नियर कैन्ट थाना-कैन्टीमेन्ट, इलाहाबाद पर निमित रामूह
आवास भवन के साबन्ध में दिये गये उपरोक्त प्रमाण-पत्र का परीक्षण प्राप्तिकरण
के अवर अभिनन्दन श्री गौरी एंकर, सहायक अग्निवना श्री अग्ननाथ तथा नगर
नियोजन श्री स्वराज गंगली द्वारा कर लिया गया है एवं विकास कार्य प्राधिकरण
द्वारा स्वीकृत भवन माना जाने के बनुलए सही पता गया है। C.F.O. इलाहाबाद,
सहा० निदेशक, विद्युत सुरक्षा (इलाउ जोन), अधिकारी, भूजपीठां० यां०
इलाउ तथा आर्किटेक्ट द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों को राज्ञान से जेते हुए उ०९० नगर
नियोजन एवं विकास अधिनियम १९७३ की घरा-१५ क (२) के अन्तर्गत पूर्णता
प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है।

अभिलेख जो संज्ञान मे लिये गये :-

1. C.F.O. इलाहाबाद की अनापत्ति
दिनांक ०६ सितंबर, २०१२
2. सहा० निदेशक, विद्युत सुरक्षा (इलाउ जोन)
दिनांक १५.०९.२०१२
3. अधिकारी, भूजपीठां० यां०
दिनांक ०३.०९.२०१२
4. आर्किटेक्ट/रट्टफरल इन्जी०
का प्रमाण-पत्र।

हस्ताक्षर १५.१२.२०१२

पदग्राम अपट्टस्ट्री

कार्यालय की गुहर सीमा सिंह
अपट्टस्ट्री

दिनांक २२.१२.२०१२



